

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 84/नागौर/.....2013-2014

यह प्रमाणित किया जाता है कि विवेकानन्द शिक्षा समिति मौलासर
जिला.....नागौर.....का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक उन्नीस.....माह सितम्बर
सन् दो हजार तेरह.....को नागौर.....में दिया गया ।



2

रजिस्ट्रार संस्थाएँ